39

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

श्री ______ द्वारा आज दि. 21-8-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जुबेदा पत्नि आजाद खां
निवासी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
म0प्र0 .... निगराकार

बनाम

शासन म0प्र0

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित 162 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

निगरानी कारण दिनांक 30.06.2017
निगरानी प्रतिकूल आदेश तहसीलदार बल्देवगढ़
प्रकरण क्रमांक 56 अ/68/2016–17 आदेश दिनांक 30.06.2017

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है –

1. भूमि स्थित ग्राम बल्देवगढ़ खसरा 1337/7 रकवा 0.809 आरे निगराकार के लगातार कब्जे की भूमि हैं जिस पर राजस्व अभिलेखो में वर्ष 1980 से लगातार कब्जा इंद्राज है जिस पर रहकर आवेदिका कृषि कार्य करते हुये अपने परिवार का भरण–पोषण करती चली आ रही है।
2. यह कि निगराकार के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। निगराकार भूमिहीन की श्रेणी में आती है जो लगातार भूमि पर काबिज होकर उबड़–खाबड़ भूमि को काबिल–कास्त बना चुकी है जिस पर काफी धन एवं श्रम का खर्च किया जा चुका हैं। भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है जिस पर कृषि कार्य करते हुये अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है।
3. यह कि आवेदिका निगराकार के विरुद्ध तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है जबकि आवेदिका उस श्रेणी में नहीं आती है भूमि कृषि योग्य भूमि है जिस पर आवेदिका बर्षो से काबिज हैं। आवेदिका के पास लगातार अर्थदण्ड सहित खसरा–खतौनी के नकले राजस्व अभिलेख प्राप्त है। आवेदिका उक्त भूमि

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एफ./ निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. /2017 /2753 जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री डी.के. पालीवाल उपस्थित। उभयपक्षों को कायमी के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण का एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है। तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा अनावेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उसे विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का होकर अपीलीय है, जिसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी प्रचलन न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	